`भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान

अगमकुआं, पटना-800007.

विज्ञापन संख्या: आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस/वाईपी-I/ई-246053/566/2025-26 दिनांक: 27 **अगस्त,** 2025

आरएमआरआईएमएस, पटना में युवा प्रोफेशनल-I (Young Professional-I) (YP-I) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन

आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, अगमकुआं, पटना इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-I) में युवा प्रोफेशनल-I (वाईपी-I) के 03 (तीन) पदों के लिए **वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार** के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यह पद नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, प्रारंभ में 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस (राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस), अगमकुआं, पटना में पूरी तरह से **संविदात्मक और अस्थायी आधार** पर भरे जाएंगे।

(1) पद का नाम:- युवा प्रोफेशनल -I (YP-I) – 03 **(अनारक्षित तीन पद) {UR-**03**}**

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा	समेकित पारिश्रमिक
क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज से न्यूनतम 55% अंकों के साथ नर्सिंग में स्नातक। ख) राज्य नर्सिंग परिषद से पंजीकृत होना	वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि तक अधिकतम 35 वर्ष (नियमानुसार आयु में छूट)	₹30,000/- प्रति माह। युवा प्रोफेशनल को कोई आवास किराया भत्ता (HRA) नहीं दिया जाएगा।

*** कार्यक्षेत्र / जॉब प्रोफ़ाइल**

रोगियों की देखभाल करना, दवाइयां देना, महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करना, चिकित्सा प्रक्रियाओं में सहायता करना, चिकित्सा रिकॉर्ड बनाए रखना, रोगियों को शिक्षित करना, संक्रमण नियंत्रण और अस्पताल प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना।

*** नियुक्ति की प्रक्रिया**

(i) वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि 16 सितंबर, 2025 (मंगलवार) को सुबह 10:30 बजे से निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात्कार से पहले स्क्रीनिंग हेतु सभी मूल दस्तावेजों के साथ 16.09.2025 को सुबह 10:00 बजे तक रिसेप्शन काउंटर, भूतल, SATDRC बिल्डिंग, ICMR-RMRIMS, अगमकुआं, पटना में रिपोर्ट करना होगा। **जो उम्मीदवार सुबह 10:00 बजे के बाद रिपोर्ट करेंगे, उन्हें वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(ii) निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-I) में विधिवत भरे हुए ऑफ-लाइन आवेदन पत्र, आयु मानदंड पूरा करने वाले तथा आवश्यक शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव (यदि कोई हो) रखने वाले उम्मीदवार, जो उनके मूल दस्तावेजों से विधिवत सत्यापित हों, वही 'वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार' में शामिल होने के पात्र होंगे। सभी शैक्षिक संबंधी दस्तावेजों, फोटोग्राफ/अनुभव प्रमाण पत्रों (यदि कोई हो) की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

(iii) ईमेल या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार बोर्ड (चयन समिति) के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। विज्ञापन से संबंधित अपडेट के लिए उम्मीदवार आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

(v) साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उनकी शैक्षिक योग्यता और अनुभव (यदि कोई हो) के आधार पर की जाएगी। हालाँकि, यदि आवश्यक हो तो साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा और असाइनमेंट भी आयोजित किए जा सकते हैं। किसी भी चरण में बराबरी की स्थिति में, समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को आगे के दौर के लिए योग्य माना जाएगा।

(vi) अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

(vii) यदि चयनित हों तो अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव पत्र आदि के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

(viii) चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय सत्यापन के लिए उपरोक्त सभी मूल दस्तावेज पुनः साथ लाने होंगे।

(ix) चयनित अभ्यर्थी को **आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, अगमकुआं, पटना** में पदस्थापित किया जाएगा।

* सामान्य नियम और शर्तें

1. **नियुक्ति की अवधि:-** युवा प्रोफेशनल-I की नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि एक वर्ष की होगी, जिसे कार्य/सेवा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर, यदि आवश्यक हो तो आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, पटना द्वारा संबंधित क्षेत्र में अतिरिक्त महानिदेशक/वरिष्ठ डीडीजी/वरिष्ठ एफए स्तर के अधिकारी द्वारा मूल्यांकन के बाद उम्मीदवार के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया/घटाया जा सकता है। आईसीएमआर में युवा प्रोफेशनल-I की नियुक्ति की अधिकतम अवधि तीन वर्ष (1+1+1) होगी1
2. आय कर या कोई अन्य कर की कटौती नियमों के अनुसार मासिक वेतन का भुगतान करने से पहले स्रोत पर काट लिया जाएगा।
3. आधिकारिक कार्य के लिए घरेलू दौरे के लिए टीए/डीए निम्नानुसार स्वीकार्य होगा:- वाईपी-1: एसी-3 टियर/एसी चेयर कार में ट्रेन से आना-जाना और यात्रा तथा गेस्ट हाउस/होटल आवास, भोजन और स्थानीय परिवहन आदि पर दौरे से संबंधित अन्य खर्चों के लिए 1200/- रुपये प्रतिदिन की निर्धारित दर से डीए।
4. **उपस्थिति और कार्यकाल :-** कार्य समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक रहेगा। हालाँकि, आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। कार्यालय समय से अधिक कार्य करने पर कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। बिना किसी वैध कारण के लगातार 8 दिनों तक अनधिकृत अनुपस्थिति पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
5. **अवकाश की पात्रता:-** आईसीएमआर में युवा प्रोफेशनल-I, भारत सरकार/आईसीएमआर के नियमों के अनुसार, आनुपातिक आधार पर एक कैलेंडर वर्ष में 08 दिनों की छुट्टी और 02 प्रतिबंधित छुट्टियों के लिए हकदार है। छुट्टियों की अवधि के दौरान, बीच की साप्ताहिक छुट्टियों या राजपत्रित छुट्टियों को स्वीकार्य छुट्टियों में नहीं गिना जाना चाहिए। अप्रयुक्त छुट्टियों को अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, युवा प्रोफेशनल को छुट्टियों पर सौंपी गई ड्यूटी के बदले में प्रतिपूरक छुट्टी की भी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन एक महीने में 02 से अधिक छुट्टियां जमा नहीं हो सकती हैं। प्रतिपूरक छुट्टियां एक बार में केवल 05 दिनों तक ही जमा की जा सकती हैं और तीन महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के प्रावधान के अनुसार महिला युवा प्रोफेशनल मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी।
6. **बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) अधिकार:-** आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, पटना में अपने वैध कार्यकाल के दौरान युवा प्रोफेशनल के काम के कारण बनाई गई बौद्धिक संपदा परिषद के आईपीआर दिशा निर्देशों द्वारा शासित होगी।
7. **यौन शोषण और दुर्व्यवहार पर निषेध:-** युवा प्रोफेशनल को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. **कर कटौती:-** सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार सभी लागू करों की कटौती स्रोत पर की जाएगी।
9. **कानूनी स्थिति:-** युवा प्रोफेशनल (YP) की नियुक्ति पूर्णतः संविदात्मक और अस्थायी आधार पर की जाएगी और उसे किसी भी हाल में परिषद/संस्थान/केंद्र का "कर्मचारी" या "अधिकारी" नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, वह किसी भी स्थिति में आईसीएमआर/या इसके किसी भी संस्थान, संस्थान या भारत सरकार में संविदात्मक नियुक्ति या सेवा के नियमितीकरण से आगे विस्तार का दावा नहीं कर सकेगा। इस आशय का एक वचन पत्र युवा प्रोफेशनल (YP) को कार्यभार ग्रहण करने से पहले हस्ताक्षरित करना होगा।
10. **अनुशासन एवं शिष्टाचार:-** चयनित उम्मीदवार को सभी संस्थागत मानदंडों का पालन करना होगा। निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और अनुबंध समाप्ति सहित दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।
11. **बीमा:-** युवा प्रोफेशनल अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त बीमा लेने और उसे बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, साथ ही अपने खर्च पर जीवन, स्वास्थ्य और अन्य प्रकार के बीमा की व्यवस्था करेगा, ताकि उस अवधि को कवर किया जा सके जिसके दौरान वे कार्यरत हैं।
12. **विवादों का निपटारा:-** आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, पटना और युवा प्रोफेशनल के संविदा अवधि से उत्पन्न विवाद या दावे को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।
13. **हितों का टकराव:-** प्रत्येक युवा प्रोफेशनल से अपेक्षा की जाएगी कि वह संस्थान/परिषद/भारत सरकार के समय-समय पर लागू सभी दिशानिर्देशों का पालन करे। उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अत्यंत ईमानदारी, पद की गोपनीयता और निष्ठा का परिचय दे। यदि किसी युवा प्रोफेशनल की सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है या संस्थान/परिषद/भारत सरकार के हितों के टकराव में पाई जाती है, तो बिना कोई कारण बताए उसकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। इस आशय का एक वचनपत्र, युवा प्रोफेशनल को कार्यभार ग्रहण करने से पहले हस्ताक्षरित करना होगा।
14. **लेखापरीक्षा एवं जाँच:-** आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, पटना द्वारा भुगतान किया गया प्रत्येक चालान/बिल समय-समय पर लेखा परीक्षकों (आंतरिक/बाह्य) द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होगा। युवा प्रोफेशनल (वाईपी)

सहमत है कि वह परामर्श अनुबंध के किसी भी पहलू पर परिषद/भारत सरकार द्वारा की जाने वाली ऐसी जाँच/भुगतान-पश्चात लेखापरीक्षा में पूर्ण और समय पर सहयोग प्रदान करेंगे।

15. **यात्रा, चिकित्सा मंजूरी और सेवा के दौरान मृत्यु, चोट या बीमारी:-** युवा प्रोफेशनल को आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, पटना में कार्य प्रारंभ करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से अच्छे स्वास्थ्य का विवरण प्रस्तुत करना होगा। युवा प्रोफेशनल की मृत्यु, चोट या बीमारी की स्थिति में, जो अनुबंध की शर्तों के तहत आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, पटना में सेवा प्रदान करने के कारण हुई हो या युवा प्रोफेशनल आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, पटना के दौरे पर यात्रा कर रहा हो या आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, पटना के किसी कार्यालय या परिसर में अनुबंध के तहत कोई सेवाएं दे रहा हो तब युवा प्रोफेशनल या उसके आश्रित, जैसा भी उपयुक्त हो, किसी भी मुआवजे के हकदार **नहीं** होंगे।
16. **अप्रत्याशित घटना और अन्य शर्तें:-** अप्रत्याशित घटना का अर्थ है प्रकृति का कोई भी अप्रत्याशित और अपरिहार्य कार्य, युद्ध का कोई भी कार्य (चाहे घोषित हो या नहीं), आक्रमण, क्रांति, विद्रोह, या इसी तरह की प्रकृति या बल का कोई अन्य कार्य, बशर्ते कि ऐसे कार्य नियंत्रण से परे कारणों से और युवा प्रोफेशनल (वाईपी) की गलती या लापरवाही के बिना उत्पन्न हों। युवा प्रोफेशनल (वाईपी) सहमत है कि, अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के संबंध में जिसे युवा प्रोफेशनल (वाईपी) को उन क्षेत्रों में या उनके लिए पूरा करना होगा जिनमें वे लगे हुए हैं, किसी भी शांति स्थापना, मानवीय या इसी तरह के ऑपरेशन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं या उनसे अलग हो रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में कठोर परिस्थितियों से उत्पन्न या उनसे संबंधित ऐसे दायित्वों को पूरा करने में कोई देरी या विफलता या ऐसे क्षेत्रों में होने वाली नागरिक अशांति की किसी भी घटना को अनुबंध के तहत अपने आप में अप्रत्याशित घटना नहीं माना जाएगा।
17. **व्याख्या:-** जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो मामला महानिदेशक-आईसीएमआर को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
18. **शिथिलीकरण की शक्ति:-** अगर महानिदेशक-आईसीएमआर की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह लिखित रूप से दर्ज किए गए कारणों के आधार पर आदेश द्वारा इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकते हैं।

* **<u>अन्य नियम और शर्तें</u>**

क) अधूरे आवेदन या निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किए गए आवेदन या बिना फोटो और हस्ताक्षर वाले आवेदन को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

ख) गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी।

ग) यदि चयनित हो तो अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्रशंसापत्र आदि के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

घ) केवल आवश्यक योग्यता/अनुभव पूरा करने से उम्मीदवार की शॉर्टलिस्टिंग और चयन की गारंटी नहीं होगी।

ङ) साक्षात्कार में भाग लेने या पदभार ग्रहण करने के लिए कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा और चयन होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करने के बाद साक्षात्कार की अवधि के लिए ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

च) किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/विभाग/पीएसयू के तहत पहले से ही नियमित सेवा में कार्यरत उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

छ) चयनित अभ्यर्थी को भविष्य निधि, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा दावा, सीसीए नियमों आदि का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

ज) युवा प्रोफेशनल (वाईपी) देश के गोपनीयता कानूनों के अधीन होंगे और रिपोर्ट करने से पहले गोपनीयता की घोषणा और गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

झ) यह नियुक्ति आईसीएमआर में किसी भी प्रकार की नियमित नौकरी या नियुक्ति **नहीं** होगी।

ञ) नियुक्ति की अवधि के दौरान युवा प्रोफेशनल (वाईपी) को आचरण के मानकों का पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर युवा प्रोफेशनल को बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

ट) युवा प्रोफेशनल (वाईपी) का अनुबंध अस्थायी प्रकृति का है और इसे बिना किसी पूर्व सूचना और बिना कोई कारण बताए, कभी भी समाप्त किया जा सकता है। हालाँकि, सामान्यतः, किसी भी पक्ष द्वारा, बिना कोई कारण बताए, कम से कम एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

ठ) निदेशक, आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, पटना, अपने विवेकानुसार किसी भी समय विज्ञापन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। निदेशक, आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस, पटना का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

ड) चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी रूप में प्रचार करना या बाहरी प्रभाव लाना अयोग्यता माना जाएगा और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।

ढ) इस विज्ञापन के संबंध में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/अन्य जानकारी, यदि कोई हो, केवल हमारी वेबसाइट www.rmrims.org.in पर प्रकाशित की जाएगी और प्रेस में कोई अलग से अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपडेट रहने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।

ण) विज्ञापन के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

ह./-

प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी

Advt.No. ICMR-RMRIMS/YP-I/e-246053/566/2025-26
Indian Council of Medical Research
Rajendra Memorial Research Institute of Medical Sciences,
Agamkuan, Patna-800007.

Dated: 27th August, 2025

Advertisement for engagement of Young Professional-I (YP-I) at RMRIMS, Patna

ICMR-RMRIMS, Agamkuan, Patna invites **off-line applications** in the prescribed performa **(Annexure-I)** through **Walk-in-Interview** from willing candidates for **03 (Three)** positions of **Young Professionals-I (YP-I)** to be filled up on **purely contractual and temporary basis** at ICMR-RMRIMS (Rajendra Memorial Research Institute of Medical Science), Agamkuan, Patna, initially for a period of **01** (**One) year,** as per the details given below.

1. **Name of the Post:-** Young Professionals-I (YP-I) – 03(Three) Nos. {UR-03}

Essential Educational Qualification	Age limit	Consolidated emoluments
a) Graduate in Nursing with minimum 55% marks from a recognized University/College. b) Registration with State Nursing Council.	Maximum 35 years as on the date of Walk-in-Interview (Age relaxation as per rules)	₹ 30,000/- per month. No House Rent Allowance (HRA) will be paid to the Young Professionals.

SCOPE OF WORK / JOB PROFILE

Provide direct patient care, administer medications, monitor vital signs, assist in procedures, maintain medical records, educate patients, and ensure adherence to infection control and hospital protocols.

PROCEDURE FOR ENGAGEMENT

(i) The date of Walk-In Interview has been scheduled on **16th September, 2025 (Tuesday) from 10:30 am onwards**. The interested candidates must report at Reception counter, Ground Floor, SATDRC Building, ICMR-RMRIMS, Agamkuan, Patna by 10:00 am on 16.09.2025 with all the Original documents for screening before the interview. The candidates who will report after 10:00 am will not be allowed to participate in the walk-in-interview.
(ii) The Candidates with duly filled **off-line applications** in the prescribed Performa **(Annexure-I)** and meeting the age criteria and possessing the required educational qualifications and experience (if any), duly verified from their original documents will be eligible for attending the 'Walk-In-Interview'. Self certified copies of all educational related documents, photograph/experience certificates if any, should be enclosed with the application form, failing which the candidature of the candidate shall stand rejected.
(iii) Applications received through email or any other mode will **not** be considered.
(iv) The shortlisted candidates will be allowed to appear before Interview Board (Selection Committee). Candidates may check ICMR-RMRIMS's official website for updates related to the advertisement.
(v) Short listing of the candidates for interview shall be done on the basis of educational qualifications and experience if any. However, written test and assignment may also be conducted before the interview, if deemed necessary. In case of tie, at any stage, all the candidates who have same marks would be considered to have qualified for further rounds.
(vi) Selection of Candidate will be based on the performance in the interview.
(vii) Candidates have to submit the duly self-attested copies of proof of their age, educational qualifications, experiences, testimonials etc. at the time of joining, if selected.
(viii) Selected candidates will again have to bring all the documents as mentioned above in Original for verification, at the time of joining.
(ix) Selected candidate shall be posted at ICMR-RMRIMS, Agamkuan, Patna.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. **Period of Engagement:-** The initial term of engagement of Young Professional-I will be for **one year** which may be extended/curtailed subject to work/service exigencies, if required, by the ICMR-RMRIMS, Patna in the relevant area subject to the satisfactory performance of the candidate after evaluation by an officer of the level of Additional DG/Sr.DDG/Sr. F.A. The maximum duration of engagement of Young Professional-I in the ICMR is three years (1+1+1) in any case.
2. The Income tax or any other tax liable to be deducted as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting payment of monthly salary.
3. TA/DA will be admissible for undertaking domestic tour for official work as under:- YP-1: To and fro journey by train in AC-3 Tier/AC Chair Car and DA at fixed rate of Rs.1200/- per day for other tour related expenses on Guest House/Hotel Accommodation, food and local conveyance etc.
4. **Attendance and working hour/day:-** The working hours will be from **09:30 am to 06:00 pm**. However, same can be extended as per requirement. No extra benefit will be allowed for working beyond office hours. Unauthorized absence for a continuous period of 08 days without valid reasons shall lead to automatic termination of the engagement.
5. **Leave entitlement:-** The Young Professional-I in ICMR, is entitled for 08 days leave in a calendar year on pro-rata basis and 02 restricted holidays, as per the rules of the Govt. of India/ICMR. Intervening weekly holidays or gazette holidays, during a spell of leaves, should not be counted against the admissible leaves. The un-availed leaves will not be carried forward to next calendar year. In addition to this, YP may also be allowed compensatory leave in lieu of the duty assigned on holidays but not more than 02 leaves can accrue in a month. The Compensatory leaves can be accumulated only up to 05 days at a time and one may be allowed to avail the same within three months. Female YPs will be entitled to maternity leave as per provision in the Maternity Benefit (Amendment) Act 2017. However, there will be no paternity leave for male YPs.
6. **Intellectual Property Rights:-** Intellectual Property created due to the work of Young Professional during his/her valid tenure in ICMR-RMRIMS, Patna will be governed by the IPR guidelines of the Council.
7. **Prohibition of Sexual Exploitation and Abuse:-** The Young Professionals shall have to comply with the "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention. Prohibition and Redressal) Act, 2013.
8. **Tax Deduction:-** All Applicable taxes, as per government rules and regulations, will deducted at source.
9. **Legal Status:-** The individual YP shall be engaged purely on contractual and temporary basis and will not be regarded, for any purpose, as being either an "employee" or "Official" of Council/ Institute/Center. Further, he she shall have no claim of further extension beyond contractual engagement or regularization of service in ICMR/or its any Institute, enter or Govt. of India in any case. An undertaking to this effect has to be signed by the YP, before joining.
10. **Discipline and decorum:-** The selected candidate shall follow all the Institutional norms. Violation of the prescribed provisions will entail breach of the terms and conditions of contract and would attract penal provisions, including termination of contract.
11. **Insurance:-** The individual YP shall be solely responsible for taking out and for maintaining adequate insurance, required to meet any of his/her obligations under the contract, as well as arranging, at his/her own expense, such as life, health and other forms of insurance, as the individual YP may consider appropriate, to cover the period during which they are engaged.
12. **Settlement of Disputes:-** ICMR-RMRIMS, Patna and the individual YP shall use their best efforts to amicably settle disputes, controversy or claim, arising out of the contractual duration.
13. **Conflict of Interest:-** The individual YP shall be expected to follow all the Guidelines of the Institute/Council/GoI, which are in force from time to time. He/she will be expected to display utmost honesty, secrecy of office, sincerity while discharging his/her duties. In case, service of any YP is not satisfactory or found in conflict of interest of the Institute/Council/GoI, his/her engagement will be liable for discontinuation immediately, without assigning any reason thereof. An undertaking to this effect shall be signed by the YP, before joining.
14. **Audits and Investigation:-** Each invoice / bill paid by ICMR-RMRIMS, Patna shall be subject to post-audit by auditors (Internal/External) from time to time. The individual YP acknowledges and agrees that, he/she shall provide full and timely cooperation with such investigations/post payment audits, which the Council/GoI may conduct, on any aspect of the consultancy contract or award thereof.
15. **Travel, Medical Clearance and Service Incurred Death, Injury or Illness:-** The YP will have to submit a Statement of Good Health from a recognized physician, prior to commencement of work at ICMR-RMRIMS, Patna. In the event of the death, injury or illness of the YP, which is attributable to the performance of services on behalf of ICMR-RMRIMS, Patna, under the terms of the Contract, while the YP is travelling on tour of ICMR-RMRIMS, Patna’s expense or is performing

any services under the Contract in any offices or premises of ICMR-RMRIMS, Patna, the YP or his/her dependents, as appropriate, shall not be entitled to any compensation.

16. **Force Majeure and other Conditions:-** Force majeure, as used herein, means any unforeseeable and irresistible act of nature, any act of war (whether declared or not), invasion, revolution, insurrection, or any other acts of a similar nature or force, provided that such acts arise from causes beyond the control and without the fault or negligence of the YP. The YP acknowledges and agrees that, with respect to any obligations under the Contract that the YP must perform in or for any areas in which they are engaged in, preparing to engage in, or disengaging from any peacekeeping, humanitarian or similar operations, any delay or failure to perform such obligations arising from or relating to harsh conditions within such areas or to any incidents of civil unrest occurring in such areas shall not, in and of itself constitute force majeure under the Contract.
17. **Interpretation:**- Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules. the matter shall be referred to DG-ICMR, whose decision shall be final and binding.
18. **Power to Relax:-** Where the DG-ICMR is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these guidelines.

<u>OTHER TERMS AND CONDITIONS</u>

a) Incomplete applications or application not submitted in prescribed format or without photo and signature shall be summarily rejected.
b) Submission of incorrect or false information shall disqualify the candidature at any stage of recruitment process.
c) Candidates have to submit the duly self-attested copies of proof of their age, educational qualifications, experiences, testimonials etc. at the time of joining, if selected.
d) Mere fulfilling the essential qualification/experience does not guarantee the candidate for short listing and selection.
e) No TA/DA will be paid to attend the interview or joining the post and candidates should make his/her own arrangement for stay for the duration of interview as well after joining the post, in case of selection.
f) Candidates already in regular service under any Central/State Govt./Autonomous/Dept/PSU are not eligible to apply.
g) The benefit of Provident Fund, Leave Travel Concession, Medical claim, CCA etc. shall not be available to the selected candidate.
h) The young professional (YP) shall be subject to the laws of secrecy of the country and will sign a declaration of secrecy and Non-Disclosure Agreement before reporting (Annexure-1).
i) The engagement will not constitute a regular job or appointment of any nature in the ICMR.
j) During the term of engagement the YP shall comply with the standards of Conduct. Failure to comply with the same will become a ground for termination of the YP without notice.
k) The contract of YP is of a temporary nature and can be terminate anytime, without any prior notice and without providing any reason for it. However, in normal course, termination of contract may be done by giving not less than one month's notice on either side at any time, without assigning any reason.
l) Director, ICMR-RMRIMS, Patna, reserves the right to cancel the advertisement at any time, at its discretion. The decision of the Director, ICMR-RMRIMS, Patna, will be final and binding.
m) Canvassing and bringing outside influence in any form for short listing or employment will be treated as disqualification and the candidate will be debarred from selection process.
n) Corrigendum/addendum/further information, if any, in respect of this advertisement, will be published on our website **www.rmrims.org.in** only and no separate notification shall be issued in the press. Applicants are requested to regularly visit the website to keep them updated.

Sd/-

(I/C) ADMINISTRATIVER OFFICER